सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
2015 की प्रतिवेदन सं. 32

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र
2015 की प्रतिवेदन सं. 32

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v-vii
अध्याय I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
सं.शा.क्षे. की संवैधानिक स्थिति	1.2	1
प्रशासनिक प्रबंधन	1.3	2
वित्तीय प्रबंधन	1.4	3
लेखापरीक्षा का अधिकार	1.5	3
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.6	4
लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार की उत्तरकारिता का अभाव	1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.8	5
ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति संघ शासित क्षेत्रों का उत्तर	1.9	6
अनुशंसाएं	1.10	6
अध्याय II : संघ शासित क्षेत्र (व्यय क्षेत्र)		
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
2011–14 की अवधि हेतु पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण	2.1	7
एक परियोजना को प्रारम्भ करने में अनुचित विलम्ब	2.2	25
निष्फल व्यय	2.3	29
दादरा एवं नगर हवेली		
₹317.03 लाख का व्यर्थ व्यय	2.4	30

दमन एवं दीव		
बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए ₹5.50 करोड़ का अनियमित आहरण	2.5	32
संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न किया जाना	2.6	33
लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली	2.7	35
लक्षद्वीप		
सरकारी निधियों का अनियमित रखा जाना	2.8	36
विशेष भत्ते का अधिक भुगतान	2.9	38
इंसीनरेटरों के प्रापण एवं संस्थापन में विलंब	2.10	40
लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर वसूली ₹27 लाख	2.11	42
अध्याय III : राजस्व क्षेत्र		
प्रस्तावना	3.1	45
अनुपालना लेखापरीक्षा मुद्दे	3.2	50
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		
सेवा कर का उद्ग्रहण न किया जाना	3.2.1	50
चंडीगढ़		
पट्टे विलेखों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क कम लगाया जाना –₹ 226.57 लाख	3.2.2	51
बिजली बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2.3	52
दादरा एवं नागर हवेली		
किराए की आय पर सेवा–कर का संग्रहण न होना	3.2.4	55
दमन एवं दीव		
राजस्व की हानि	3.2.5	56
अनुबंध	**59-72**	
परिशिष्ट	**73-77**	